बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी,पटना को समर्पित प्रमुख बिन्दु

- कुछ माह पहले समाचार पत्रों में आया था कि जल्द ही पटना में विदेश भवन का निर्माण कार्य आरम्भ होगा यह एक स्वागतयोग्य कदम है और इससे राज्यवासी लाभान्वित होंगे अत: इस संबंध में आपसे अद्यतन जानकारी चाहेंगे ।

- पासपोर्ट के आवेदन का On line हो जाने से लोगों को काफी सुविधा हो गई है परन्तु बिहार में अभी भी खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से लोग Computer Friendly नहीं हुए हैं या उनके पास इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वे आधुनिक तकनीक का लाभ नहीं उठा पाते हैं । अत: वैसे लोगों के लिए पासपोर्ट कार्यालय में समुचित संख्या में ''सहायता केन्द्र'' की स्थापना हो जाए तो काफी सुविधा हो जाएगी क्योंकि वर्तमान में विभाग की ओर से जो काउन्टर है उस पर भीड़ होने के कारण लोगों को जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है । इससे एक और फायदा होगा कि नये लोगों को दलाल भ्रमित नहीं करेंगे । इसके लिए यदि आवश्यक हो तो Nominal charge भी रखा जा सकते हैं ।

- पासपोर्ट के आवेदन का प्रावधान On line हो जाने के कारण राज्य के विभिन्न भागों से लोग अपना आवेदन ऑन लाईन करते हैं परन्तु Verification के लिए उन्हें पटना आना पड़ता है इसलिए ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो आवेदक जिस जिला में हैं उनका Verification उसी जिला में हो जाए ।

- पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं थाने के बीच Police Verification के मामले में अभी भी देरी हो रही है । काम जल्दी हो इसके लिए आज हर क्षेत्र में On line प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है इसलिए इस प्रक्रिया को भी ऑन लाईन किया जाना चाहिए या Police Verification की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।

- राज्य के दूर–दराज के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिले इसके लिए राज्य के विभिन्न डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलना एक स्वागतयोग्य कदम है । इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि उस पासपोर्ट सेवा केन्द्र के कार्यप्रणाली पर बराबर ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना हुई है उसकी पूर्ति हो सके साथ ही राज्य के वैसे भाग जहॉ पर यह सुविधा अभी तक नहीं प्रदान की गयी है उसे भी समाहित किया जाना चाहिए ।

क्रमश: 2

- वैसे लोग जिन्हें पूर्व में पासपोर्ट जारी की जा चुकी है परन्तु अपरिहार्यवश खो गया हो या चोरी हो गया हो और वे पासपोर्ट के लिए पुनः आवेदन करते हैं तो वैसे लोगों के लिए Police verification को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए ।

  यदि किसी व्यक्ति का पहले से पासपोर्ट है और Renewal के समय उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है वैसे लोगों के लिए भी Police verification का प्रावधान नहीं होना चाहिए ।

- कुछ–कुछ अन्तराल पर पासपोर्ट कार्यालय में तथा इसके अगल–बगल पुलिस की ओर से सघन जॉच की जानी चाहिए जिससे कि अवांछित तत्व दूर–दराज से आनेवाले लोगों को भ्रमित कर उन्हें बेवजह परेशान नहीं कर सकें ।

- जब–तक आरोप साबित नहीं हो या अभियोग गठित (Charge Frame) न्यायालय में Submit नहीं किया गया हो तब–तक केवल इस आधार पर की आप पर आपराधिक मुकदमें हैं पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि व्यवसाय के क्रम में व्यवसायियों पर झूठे मुकदमें भी दायर किये जाते हैं और न्यायालय का निर्णय आने में काफी लम्बा समय लग जाता है । जब–तक न्यायालय द्वारा देश छोड़ने पर प्रतिबंध या अभियोग गठित (Charge frame) नहीं किया जाता है, इसे कम्पलेक्स केस नहीं समझा जाना चाहिए ।

- पूर्व में पासपोर्ट कार्यालय में अत्यधिक भीड़ से बचने के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीय के सदस्यों को विशेष सुविधा प्रदान करते हेतु वरिष्ठ नागरिक के काउन्टर पर ही व्यवस्था की गयी थी अतः इस व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए ।

- छः माह में कम से कम एक बार पासपोर्ट अदालत आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि आवेदक अपनी बातों को आपके समक्ष रख सकें ।

****

पटना
दिनांक : 10 मई 2019